प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल,
प्रयागराज।

प्रेष्य,

रजिस्ट्रार,
एन0जी0टी0,
प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली

पत्रांकः– 2419 /सिंकामंप्र/एन0जी0टी0/ दिनांकःप्रयागराज 07/04/ ,2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित **ओ0ए0संख्या–203/2022** कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में आवेदन संख्या 203/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के क्रम में विभागीय पक्ष प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की तरफ से मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,वाराणसी से हस्ताक्षरित कराकर आपकी सेवा में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–मा0 अभिकरण की अनुपालन आख्या ।

सादर ।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता, 07.04.24
सिंचाई कार्य मण्डल,
प्रयागराज।

पत्रांकः– /सिं0का0मं0प्र0 /एन0जी0टी0/दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को मय संलग्नको सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उ0 प्र0 शासन लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन) कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक–159/मु0अ0(ज0सं0)/अनि0–1/अनिख–3 दिनांक 01.04.2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में।
4. मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,वाराणसी।
5. श्री अंकित वर्मा, Adv. For the state of UP को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय में ससमय विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें ।
6. अधिशासी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड,प्रयागराज।

संलग्नकः–मा0 अभिकरण की अनुपालन आख्या ।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल,
प्रयागराज।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या 203/2022 की अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या 203/2022 में दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश के बिन्दुसंख्या–1 जो निम्नवत् उल्लिखित है।

"1. In this original application issue relating to water extracted from river Yamuna for irrigation purpose by Kishanpur Canal and also by Thermal Power stations has been raised and a grievance is reflected that on account of such withdrawal of water , water scarcity is created in river Yamuna which will affect the mass bathing during Kumbh Mela, Prayagraj in future".

थर्मल पावर स्टेशन से सम्बन्धित सूचना मा0 अधिकरण के समक्ष सम्बन्धित विभाग/पावर स्टेशन द्वारा दाखिल की गई है ।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

1– किशन पुर पम्प कैनाल, जनपद–फतेहपुर में अवस्थित है, जिसकी क्षमता 420 cusec है। किशनपुर पम्प कैनाल के संचालन से कुम्भ मेला एवं माघ मेला में जल उपलब्धता पर कोई भी विपरीत प्रभाव विगत वर्षो में नहीं पड़ा है तथा भविष्य में भी कुम्भ मेलों के दौरान कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। (संलग्नक)

2– यमुना नदी एक बारहमासी नदी है, जिसका उद्गम स्थल हिमालय में स्थित ग्लेसियर है, जिससे बर्फ पिघलने से पानी का प्रवाह निरन्तर बना रहता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, बेतवा व केन उल्लेखनीय है। यमुना नदी में पानी की उपलब्धता वर्ष भर बना रहता है। विगत 08 वर्षो में माघ मेला एवं कुम्भ मेला के दौरान यमुना नदी का संगम स्थल के समीप अपस्ट्रीम में नैनी गेज स्टेशन के न्यूनतम गेज का विवरण निम्नानुसार है–

S. N.	YEARS	RIVER YAMUNA NAINI GAUGE IN MT. U/S OF SANGAM (In M)
1	2016-17	72.07
2	2017-18	72.60
3	2018-19	72.86
4	2019-20	72.50
5	2020-21	72.08
6	2021-22	72.69
7	2022-23	72.17
8	2023-24	72.30

उक्त आंकड़ों के अनुसार संगम के अपस्ट्रीम में विगत 08 वर्षो में कुम्भ मेला/माघ मेला के स्नान पर्वो के दौरान यमुना नदी का न्यूनतम जल स्तर 72.07 मीटर मापा गया है तथा संगम क्षेत्र में विगत वर्षों में तीर्थयात्रियों के सुगम स्नान हेतु पर्याप्त जल प्रवाह बना रहा है और करोड़ो श्रद्धालुओं द्वारा संगम में पवित्र डुबकी लगायी गयी व जल भर कर ले जाया गया।

3– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी0आई0एल0 4003/2006 में दिये गये निर्देशों के समादर में भी माघ मेला एवं कुम्भ मेला प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराने के दृष्टिगत बांधों से संरक्षित जल माघ मेला/कुम्भ/महाकुम्भ मेला हेतु अनुश्रवण कर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेला पर्यन्त जल प्रवाह की उपलब्धता बनी रहे। उपरोक्त के दृष्टिगत आगामी वर्षो में भी माघ मेला के दौरान संगम क्षेत्र में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बना रहना सम्भावित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी द्वारा "आगामी वर्षों में होने वाले मेले में स्नान हेतु जल उपलब्ध नहीं रहेगा" तथ्यहीन, काल्पनिक एवं बलहीन है।

यह आलेख, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की तरफ से अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल किया जा रहा है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज	मुख्य अभियन्ता(सोन) सि0एवं ज0सं0वि0,उ0प्र0,वाराणसी

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड कौशाम्बी।

पत्रांकः–212 /सिं0ख0–कौशाम्बी/एन0जी0टी0 दिनांक 05 फरवरी, 2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–230/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2023 के सम्बन्ध में आख्याः–

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2023 के क्रम में अवगत कराना है कि किशनपुर पम्प कैनाल जनपद फतेहपुर में अवस्थित है। इसका निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की डिजाइन/गणना के आधार पर की गयी है। किशनपुर पम्प कैनाल का लोकार्पण जून, 1975 (लगभग 49 वर्ष पूर्व) में तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा किया गया है। जून, 1975 से किशनपुर पम्प कैनाल डिजाइन डिस्चार्ज 420 cusec से संचालित की जा रही है। उक्त वर्षो से किशनपुर पम्प कैनाल के संचालन से कुम्भ मेला एवं माघ मेला में जल उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है तथा भविष्य में भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। वादी का कथन मात्र काल्पनिक है।

(जगदीश लाल)
अधिशासी अभियंता

पृ0संख्याः–212 /सिं0ख0–कौशाम्बी/एन0जी0टी0तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जगदीश लाल)
अधिशासी अभियंता

कार्यालय मु० अ० (सोन)
डा०सं०......5424.......
दिनांक.........12/12/23

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक /मु0अ0ज0स0/पी0पी0–2/माघ मेला–2023–24/ दिनांकः 5-12-2023

कार्यालय ज्ञाप

माघ मेला–2023–24 के दौरान माह जनवरी 2024 से माह मार्च, 2024 तक गंगा नदी में पानी की अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गई है तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विचाराधीन जनहित याचिका संख्या–4003/2006 (Re: Ganga Pollution) में समय–समय पर गंगा नदी के जल की अविरलता एवं निर्मलता हेतु गम्भीर चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। अतः माघ मेले के दौरान गंगा नदी मे पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित विभिन्न जल प्रदूषणकारी उद्योगों को उक्त अवधि में शून्य उत्प्रवाह निस्सरित किये जाने की अपेक्षा आदेशित है तथा अवहेलना की स्थिति में दोषी उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यथोचित निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुसार माघ मेला में स्नान हेतु टिहरी बॉध जलाशय से 1000 क्यूसेक जल दिनांक 15.12.2023 को प्रातः 8.00 बजे से दिनांक 08.03.2024 तक तथा नरौरा बैराज के डाऊन स्ट्रीम से गंगा नदी में 4000 क्यूसेक जल दिनांक 24.12.2023 से दिनांक 08.03.2024 तक निम्न समय–सारिणी के अनुसार निरन्तर प्रवाहित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं :–

क0सं0	मुख्य स्नान पर्व		जल छोड़े जाने हेतु प्रस्तावित समय सारिणी		अभ्युक्ति
	नाम	दिनांक/दिन	दिनांक	जल की मात्रा (क्यूसेक में)	
1	मकर संकान्ति	15.01.2024/सोमवार	टिहरी बॉध जलाशय से दिनांक 15.12.2023 को प्रातः 8.00 बजे से	1000	नरौरा बैराज से अवमुक्त जल संगम स्थल प्रयागराज तक पहुँचने में 10 दिन का समय लगना संभावित है।
2	पौष पूर्णिमा	25.01.2024/गुरूवार			
3	मौनी अमावस्या	09.02.2024/शुक्रवार			
4	बसंत पंचमी	14.02.2024/बुद्धवार	नरौरा बैराज से दिनांक 24.12.2023 से दिनांक 08.03.2024 तक।	4000	
5	माघी पूर्णिमा	24.02.2024/शनिवार			
6	महाशिवरात्रि	08.03.2024/शुक्रवार			

Sd–
(अनिल कुमार)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियन्ता (सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ० प्र० वाराणसी

पृष्ठांकन संख्याः 1018 /मु0अ0ज0सं0/पीपी–2/माघ मेला–2023–24/तदिनांक। 5-12-23

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज को उनके पत्रांकः 1614/पन्द्रह–मा0मे0 (2023–24) दिनांक 17.11.2023 के कम में।

कमशः....2...

(2)

6. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
7. अध्यक्ष एवं प्रवन्ध निदेशक, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, तकनीकी, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (स्तर--1), परि0 एवं शोध, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (स्तर--1)/विन्ध्यांचल/मध्य/पश्चिम/नियोजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज/लखनऊ/मेरठ/लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, गंगा/रामगंगा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ/कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि गंगा नदी में माघ मेला--2023--24 में उपरोक्तानुसार जल आपूर्ति के साथ-साथ अपने अपने संगठन में रबी फसल की सिंचाई हेतु नहरों में आवश्यक जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाये।
13. मुख्य अभियन्ता, मध्यगंगा/सोन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़/ वाराणसी।
14. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ/अनु0 एवं नियो0 (जल संसाधन) मण्डल, मेरठ।
15. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़।
16. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज।
17. अनु0 एवं नियो0(जल संसाधन) मण्डल, प्रयागराज।
18. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड, गंगा नहर रुड़की।
19. अधिशासी अभियन्ता, नरौरा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, अलीगढ़।
20. अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, खण्ड-5, बिजनौर।
21. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।
22. अधिशासी अभियन्ता, (अनु0 एवं नियो0), जल संसाधन खण्ड, मेरठ/कानपुर/मिर्जापुर।

(गोपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता (ज0सं0)

कार्यालय मुख्य अभियन्त(सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, वाराणसी

पत्रांक: ई-4217/सोन/92 बी-सामान्य-प्रयागराज/ दिनांक: 13 दिसम्बर/2023

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज, एवं अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त ।

13-12-2023
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(सोन)
सिंचाई विभाग,वाराणसी

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल,
प्रयागराज।

प्रेष्य,

रजिस्ट्रार,
एन0जी0टी0,
प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली

पत्रांकः— /सिंकामंप्र/एन0जी0टी0/ दिनांकःप्रयागराज ,2024

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित **ओ0ए0संख्या—203/2022** कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में आवेदन संख्या 203/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के क्रम में विभागीय पक्ष प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की तरफ से मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,वाराणसी से हस्ताक्षरित कराकर आपकी सेवा में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—मा0 अधिकरण की अनुपालन आख्या ।

सादर ।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल,
प्रयागराज।

पत्रांकः— /सिं0का0मं0प्र0 /एन0जी0टी0/दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को मय संलग्नको सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग—4, उ0 प्र0 शासन लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन) कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक—159/मु0अ0(ज0सं0)/अनि0—1/अनिख—3 दिनांक 01.04.2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में।
4. मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,वाराणसी।
5. श्री अंकित वर्मा, Adv. For the state of UP को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय में ससमय विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें ।
6. अधिशासी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड,प्रयागराज।

संलग्नकः—मा0 अधिकरण की अनुपालन आख्या ।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल,
प्रयागराज।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या 203/2022 की अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या 203/2022 में दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश के बिन्दुसंख्या–1 जो निम्नवत् उल्लिखित है।

"1. In this original application issue relating to water extracted from river Yamuna for irrigation purpose by Kishanpur Canal and also by Thermal Power stations has been raised and a grievance is reflected that on account of such withdrawal of water , water scarcity is created in river Yamuna which will affect the mass bathing during Kumbh Mela, Prayagraj in future''.

थर्मल पावर स्टेशन से सम्बन्धित सूचना मा0 अधिकरण के समक्ष सम्बन्धित विभाग/पावर स्टेशन द्वारा दाखिल की गई है ।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

1– किशन पुर पम्प कैनाल, जनपद–फतेहपुर में अवस्थित है, जिसकी क्षमता 420 cusec है। किशनपुर पम्प कैनाल के संचालन से कुम्भ मेला एवं माघ मेला में जल उपलब्धता पर कोई भी विपरीत प्रभाव विगत वर्षो में नहीं पड़ा है तथा भविष्य में भी कुम्भ मेलों के दौरान कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। (संलग्नक)

2– यमुना नदी एक बारहमासी नदी है, जिसका उद्गम स्थल हिमालय में स्थित ग्लेसियर है, जिससे बर्फ पिघलने से पानी का प्रवाह निरन्तर बना रहता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, बेतवा व केन उल्लेखनीय है। यमुना नदी में पानी की उपलब्धता वर्ष भर बना रहता है। विगत 08 वर्षों में माघ मेला एवं कुम्भ मेला के दौरान यमुना नदी का संगम स्थल के समीप अपस्ट्रीम में नैनी गेज स्टेशन के न्यूनतम गेज का विवरण निम्नानुसार है–

S. N.	YEARS	RIVER YAMUNA
		NAINI GAUGE IN MT. U/S OF SANGAM (in M)
1	2016-17	72.07
2	2017-18	72.60
3	2018-19	72.86
4	2019-20	72.50
5	2020-21	72.08
6	2021-22	72.69
7	2022-23	72.17
8	2023-24	72.30

उक्त आंकड़ों के अनुसार संगम के अपस्ट्रीम में विगत 08 वर्षो में कुम्भ मेला/माघ मेला के स्नान पर्वो के दौरान यमुना नदी का न्यूनतम जल स्तर 72.07 मीटर मापा गया है तथा संगम क्षेत्र में विगत वर्षों में तीर्थयात्रियों के सुगम स्नान हेतु पर्याप्त जल प्रवाह बना रहा है और करोड़ो श्रद्धालुओं द्वारा संगम में पवित्र डुबकी लगायी गयी व जल भर कर ले जाया गया।

3– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी0आई0एल0 4003/2006 में दिये गये निर्देशों के समादर में भी माघ मेला एवं कुम्भ मेला प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराने के दृष्टिगत बांधों से संरक्षित जल माघ मेला/कुम्भ/महाकुम्भ मेला हेतु अनुश्रवण कर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेला पर्यन्त जल प्रवाह की उपलब्धता बनी रहे। उपरोक्त के दृष्टिगत आगामी वर्षो में भी माघ मेला के दौरान संगम क्षेत्र में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बना रहना सम्भावित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी द्वारा "आगामी वर्षों में होने वाले मेले में स्नान हेतु जल उपलब्ध नहीं रहेगा" तथ्यहीन, काल्पनिक एवं बलहीन है।

यह आलेख, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की तरफ से अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल किया जा रहा है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता(सोन)
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज	सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज	सिं0एवं ज0सं0वि0,उ0प्र0,वाराणसी